सं0रा0–1/विविध-16/2019 559(7)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनाक– 28/03/2025

विषयः– राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बक्सर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु0 552.02 करोड़ के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रु0 515,00,00,000/– (रुपये पाँच सौ पन्द्रह करोड) मात्र की लागत पर स्वीकृत योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में राशि रू० 45,00,00,000/–(रूपये पैंतालीस करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबंध मे कहना है कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, बक्सर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु0 552.02 करोड के प्राक्कलन एव तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 मे कुल रु0 515,00,00,000/– (रुपये पॉच सौ पन्द्रह करोड) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश सख्या 311(1), दिनाक–07.03.2019 द्वारा दी गयी। इस केन्द्र प्रायोजित योजनातर्गत केन्द्राश मद आवटित कुल राशि रू० 150.00 करोड एव समानुपातिक राज्याश मद की राशि रू० 100.00 करोड अर्थात् कुल राशि रू० 250.00 करोड व्यय की स्वीकृति दी जा चूकी है। शेष प्राक्कलित राशि के व्यय का वहन राज्य योजना मद से किया जाना है।

2– भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से अब तक प्राप्त आवटनादेश एव अब तक विभागीय स्तर पर स्वीकृत एव निर्माण एजेन्सी (BMSICL) को आवटित राशि की विवरणी निम्नवत् है.–

क्र०स०	विभागीय राज्यादेश स०	केन्द्राश	राज्याश
1	स०–1049(1), दिनाक–09.12.2020	50,25,00,000	6,93,24,500
2	स०- 56(7), दिनाक–03.08.2021	10,00,00,000	6,66,66,600
3	स०–334(7), दिनाक–28.11.2023	89,75,00,000	25,00,00,000
4	स०–457(7), दिनाक–30.01.2024		35,20,00,000
5	स०–223(7), दिनाक–18.10.2024		26,20,00,000
कुल आवटित राशि		**1,50,00,00,000**	**99,99,91,100**
कुल राशि (केन्द्रांश + राज्याश)		**2,49,99,91,100**	

3– उक्त परिप्रेक्ष्य में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, बक्सर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु0 552.02 करोड के प्राक्कलन एव तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रु0 515,00,00,000/– (रुपये पॉच सौ पन्द्रह करोड) मात्र की लागत पर स्वीकृत योजना अतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 मे राशि रू० 45,00,00,000/–(रूपये पैतालीस करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा विभागीय राज्यादेश संख्या 311(1), दिनाक–07.03.2019 मे निहित शर्तो के अधीन किया जायेगा।

5– राज्य योजना मद से इस राशि के व्यय का वहन मॉग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप–शीर्ष–0101–मेडिकल कॉलेजों हेतु, विपत्र कोड–20–4210037890101 अतर्गत विषय शीर्ष 53–मुख्य निर्माण कार्य के 0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई मे **तृतीय अनूपूरक आगणन** से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

6– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि0(2), दिनाक–1 04 98, 2880/वि0(2), दिनाक–06 05 06, 2938/वि0(2), दिनाक–08.04 08 एव 3758/वि0, दिनाक–31 05 2017 एवं 12888/वि०, दिनाक–03 12 2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7– **वित्त विभाग पत्र संख्या– 2867, दिनांक–13.03.2025** की कडिका–2(ii) में दिये गये निर्देश के आलोक में पी०एल०खाता मे राशि अतरण के मामले मे वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

8–इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

9– अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0–PBBPLA007विपत्र कोड–0U-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID-----------में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेगे।

10– बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत सरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण (Plus-Minus Memoranda)ज्ञापन तथा व्यय के सुसगत भाउचर्स/उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ ससमय कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे तथा एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे ।

11– प्रस्ताव एवं प्रारूप मे अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

12– प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति स0सं0–1/विविध–16/2019 के पृष्ठ–56/टि0 पर प्राप्त है।

13– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

14– यह मात्र व्ययादेश है, आवटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(शैलेश कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:–1/विविध–16/2019– 589 (7) /स्वा0, पटना, दिनाक–28/03/ 2025

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, बक्सर/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–मा0 मत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/ प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लिमिटेड, पटना/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों मे), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव